एम.एम. कुमार और ऋतु बहरी, जेजे के सामने

नीरज ए. और अन्य,–प्रार्थी

बनाम

भारत सरकार और अन्य,–प्रतिस्थापित

सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 19339 का 2009

26 अक्टूबर, 2010

भारतीय संविधान, 1950–कला. 226–पंजाब पुलिस नियम, 1934–Rl. 12.16–कॉन्स्टेबल पद के चयन–रंग अंधता के कारण अयोग्य–क्या कॉन्स्टेबल पद पर नियुक्त होने का हकदार–निष्कर्ष, नहीं–नियम सख्त चिकित्सा परीक्षा की प्रदान करते हैं–नेत्र दृष्टि की कमी–चिकित्सा अनुयायिता–किसी को वाणिज्यिक पद पर नियुक्त करने के लिए प्रत्यायोजन करने के लिए पर्याप्त है–याचिका खारिज।

निर्णय, कि 'भारत सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार पंत और अन्य' (2009)14 SCC 546 के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त न्याय के पैरा 30 से स्पष्ट है कि 1995 अधिनियम की धारा 47(2) का व्याख्यान करते समय यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है तो उससे केवल इस कारण से उसे पदोन्नति नहीं मिल सकती जो उसे एक विकलांगता हो। हालांकि, प्रस्तुत परिस्थितियों में यदि एक विकलांगता किसी कार्य की या पदोन्नत पद पर काम करते समय प्रदर्शन को प्रभावित करती है या यदि संभावना है कि यह सहकर्मियों, सार्वजनिक जन या कर्मचारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगी, तो फिर यह कहा गया है कि पदोन्नति इसलिए इनकार किया जा सकता है क्योंकि यह सुरक्षा, सुरक्षा और प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, तो इसे केवल उसकी विकलांगता के कारण पदोन्नति नहीं है। एक पदोन्नति के मामले में दी गई उक्त व्याख्या निर्विरोध रूप से सीधे नियुक्ति के मामले में भी लागू होगी। वर्तमान मामले में, एक आईआरबी में चयनित कॉन्स्टेबल का रंग अंधता निश्चित रूप से उसके दायित्व के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। हम ऐसे आईआरबी में कॉन्स्टेबल के पद के लिए नियुक्ति के मामले में तय किए गए निर्णय से सहमत हैं कि नियम 12.16 के अंतर्गत रंग अंधता से प्रभावित व्यक्ति को नियुक्ति के लिए अस्तुति देने के लिए पर्याप्त विशेषक है।

(पैरा 4)

एस.एन. यादव, प्रतिवादी के लिए वकील।

एम. एम. कुमार, जे.

1) मुख्य आवेदक ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (संक्षेप के लिए 'ट्रिब्यूनल') के सामने हार प्राप्त की है। वह इस कोर्ट के सामने इस प्रस्तुत याचिका को दाखिल करके आए हैं और उसने इसके खिलाफ 7 सितंबर, 2010 को जारी किए गए आदेश का विरोध किया है। याचिका में उठाया गया संक्षेप मुद्दा यह है कि रंग अंधता से पीड़ित व्यक्ति को कॉन्स्टेबल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। उन्हें कॉन्स्टेबल के पद के लिए चयन के बाद, उन्हें चिकित्सा परीक्षण किया गया और उन्हें रंग अंधता के कारण अयोग्य पाया

गया। यह अस्पष्ट नहीं है कि याचकों को भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के कॉन्स्टेबल के पद के लिए चयन किया गया था। उन्हें उन कॉन्स्टेबल्स के रूप में चयन नहीं किया गया था जो कार्यकारी पक्ष द्वारा ड्यूटी निभा रहे थे, अर्थात् क्लरिकल काम। ट्रिब्यूनल ने नियम 12.16 के आधार पर उनकी दावा को खारिज किया, जो कि 1934 के पंजाब पुलिस नियम (संक्षेप के लिए 'नियम') का हिस्सा है, जो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा योग्यता प्राप्त किया गया है। ट्रिब्यूनल ने पैराग्राफ 11 और 12 में निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया:

(2). नियमों में जो प्रावधान है, हमें यहां तक प्राप्त होता है कि कॉन्स्टेबल के पद के लिए रंग अंधता से पीड़ित उम्मीदवार की खारिजी के लिए नियमों में पर्याप्त प्रावधान है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'उम्मीदवार किसी ऐसी बीमारी या दोष के लिए खारिज किए जाएंगे जो उन्हें पुलिस अधिकारी के सभी कर्तव्यों के लिए अयोग्य बना सकती है।' यह प्रावधान स्पष्ट रूप से किसी कॉन्स्टेबल को चंडीगढ़ प्रशासन में जिसे किसी भी कॉन्स्टेबल को सौंपा जा सकता है, के सभी कर्तव्यों के लिए अयोग्य बना सकता है, इसलिए इसमें रंग अंधता की दोषपूर्ण बात को पूरी तरह से कवर करता है।

(12) इसलिए, मामले के सम्पूर्ण तथ्य और परिस्थितियों के समृद्धि में, हम यह दृढ़ दृष्टि हैं कि यदि उम्मीदवारों की रंग अंधता के कारण उनकी प्रतिवादिता को खारिज किया जाता है, तो यह कानूनी और मान्य है। जितेंद्र कुमार के मामले में (सुप्र) के मामले में, उत्तराधिकारी को इसे देखने के लिए कहा गया है कि उसके मामले को करुणात्मक नौकरी के लिए विचार किया जाए जो किसी भी उपयुक्त पद के लिए उपलब्धता, उसकी उपयुक्तता और संबंधित योजनाओं में निर्धारित अन्य मानकों के अनुसार हो। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर।

2) हमने विद्वान प्रमाणपत्र की बड़ी लंबाई पर सुना है और पाया है कि इस क्षण याचिका में कोई प्रमाण नहीं है। विवाद को नियम 12.16 के संदर्भ में जांचा जाना चाहिए जो इस प्रकार है:

(3) .16 नवीन–उपचारी का चिकित्सा परीक्षण.-(1) प्रत्येक नवीन को पंजीकरण से पहले चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा और नागरिक सर्जन द्वारा सेवा के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त होने का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। एक प्रमाणपत्र, प्रविष्ट रूप (10.64) में, जिसे नागरिक सर्जन व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करें, पंजीकरण के लिए एक आवश्यक योग्यता है– (फंडामेंटल रूल 10)।

नागरिक सर्जन द्वारा की जाएगी और इसमें उम्मीदवार की दृष्टि, बोलचाल और सुनने का परीक्षण, उसके शारीरिक दोषों, जैविक या संक्रामक बीमारी से मुक्ति, या उसे अनुयायित बना सकने वाले किसी और दोष या प्रवृत्ति की जांच की जाएगी, और उसकी आयु। उम्मीदवार को परीक्षा के लिए खोलना होगा, और जब परीक्षण पूरा हो रहा है, तब केवल एक कमर ढकने की अनुमति है, किसी भी उम्मीदवार ने इसे करने से इनकार कर दिया है, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। पुलिस सेवा की शर्तें इसे आवश्यक बनाती हैं कि उम्मीदवारों का चिकित्सा

परीक्षण सख्त होना चाहिए। उम्मीदवारों को उन बीमारियों या दोषों के लिए खारिज किया जाएगा जो उन्हें पुलिस अधिकारी के सभी कर्तव्यों के लिए अयोग्य बना सकती हैं।

(2) xx xx xx"

(3) उपर्युक्त नियमों का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि नागरिक सर्जन को उसके पंजीकरण से पहले प्रत्येक नवीन का चिकित्सा परीक्षण करने के लिए जिम्मेदारी है। उन्हें नवीन की दृष्टि, बोलचाल और सुनने की जांच करेगा। यदि उसमें ऐसी कोई प्रवृत्ति है जो उसे अयोग्य बना सकती है या चिकित्सा परीक्षण के दौरान कोई और दोष पाया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को चिकित्सा रूप से अयोग्य कर दिया जा सकता है। नियम और कहता है कि पुलिस सेवा की शर्तें इसे आवश्यक बनाती है कि चिकित्सा परीक्षण बहुत सख्त होना चाहिए। एक बार जब नियम सख्त चिकित्सा परीक्षण प्रदान करते हैं, तो दृष्टि का कोई भी दोष जो कर्तव्यों को प्रभावित करता है, को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ऐसा दृष्टि का दोष चिकित्सा अनुयायित हो सकता है। यह प्रश्न संबंधित है होने के कारण उपयुक्त है जो 1995 अधिनियम के अनुसार धारा 47 के संदर्भ में हो रहा है।

वर्णन के लिए उनके भगवान: बल सर्वोपरि महाकवि पंत और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उनके महोदयों ने पैरा 30 में रंग अंधता के संदर्भ में यह टिप्पणी की है:

"धारा 47(2) का अर्थ है कि जो व्यक्ति पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र है, उसे केवल इस कारण से या केवल इस कारण नहीं बाधित किया जाना चाहिए कि उसे एक विकलांगता है। धारा 47(2) ने यह निषेध किया है कि पदोन्नति के लिए केवल विकलांगता को एक अस्वीकृति नहीं बना सकता है, लेकिन स्थिति अलग है अगर विकलांगता कार्य का निर्वहन या उच्च पद में कार्य के प्रदर्शन को प्रभावित करेगी या अगर विकलांगता सहकर्मियों, सार्वजनिक या कर्मचारी के स्वयं को खतरा पैदा करेगी या कर्मचारी की सुरक्षा, सार्वजनिक की सुरक्षा और प्रदर्शन को प्रभावित करेगी। यदि प्रमोशन को इस कारण से इनकार किया जाता है कि यह कर्मचारी की सुरक्षा, सुरक्षा और प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, तो यह केवल उसकी विकलांगता के कारण ही नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ अधिक, वह है, कर्मचारी के उच्च कर्तव्यों या पद से जुड़े कार्यों पर विकलांगता के प्रति प्रतिकूल प्रभाव।"

5) यू ओ आई बनाम सत्य प्रकाश वशिष्ठ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय विशेष मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है। वहां चयन और नियुक्ति को सब इंस्पेक्टर (कार्यकारी) दिल्ली पुलिस के पद के लिए करने का प्रयास किया गया था। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि कार्यकारी कैडर सामान्य ड्यूटी कैडर या आईआरबी कैडर से अलग होता है। कार्यकारी कैडर के सदस्य मंत्रालयिक कार्यों का प्रदर्शन करते हैं और रंग अंधता उनके कर्तव्य के प्रदर्शन के रास्ते में नहीं आ सकता है। सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल या आईआरबी कांस्टेबल्स को विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन करना होता है और रंग अंधता निश्चित रूप से उनके कर्तव्य के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसलिए, हम सत्य प्रकाश वशिष्ठ (उपरोक्त) के मामले में न्याय दिए जाने पर आधारित वितर्क में कोई मौदू नहीं पाते हैं।

(6) उपर्युक्त कारणों के लिए हम इस याचिका को स्वीकृत करने के लिए आत्मनुराग हैं नहीं। इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी